



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252734
CG-DL-E-08032024-252734

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1074]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1074]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2024

का.आ. 1131(अ).— केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में उन उद्यमों को छूट प्रदान करती है जो पक्षकार हैं -

(क) प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई भी अधिग्रहण;

(ख) एक उद्यम पर एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रण अर्जित करना जब ऐसे व्यक्ति के पास पूर्व से ही उत्पादन, वितरण या समान या समरूप या प्रतिस्थापन योग्य माल का व्यापार या समान या समरूप या प्रतिस्थापन योग्य है या किसी अन्य के उपबंध जैसा कि जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 के खंड (ख) में निर्दिष्ट है; और

(ग) प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई विलय या समामेलन।

जहां, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुरूप अधिग्रहण की जा रही, नियंत्रित की जा रही, विलय या समामेलन की जा रही आस्ति का मूल्य भारत में चार सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है या भारत में टर्नओवर एक हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है।

2. जहां किसी उद्यम या प्रभाग या व्यवसाय के एक भाग का अधिग्रहण किया जा रहा है, विलय का नियंत्रण लिया जा रहा है या किसी अन्य उद्यम के साथ समामेलित किया जा रहा है, उक्त भाग या प्रभाग या व्यवसाय की आस्ति का मूल्य और या उसके कारण, सुसंगत आस्ति होगी और अधिनियम की धारा 5 के अधीन सीमाओं की गणना के प्रयोजन के लिए टर्नओवर

को ध्यान में रखा जाएगा। उक्त भाग या प्रभाग या कारबार का मूल्य उद्यम के लेखापरीक्षित लेखाबहियों में या वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार दिखाए गए आस्तियों के बही मूल्य को लेकर अवधारित किया जाएगा, जहां वित्तीय विवरण फाइल करना अभी देय नहीं है, उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में जिसमें प्रस्तावित संयोजन की तारीख आती है, किसी भी मूल्यहास द्वारा कम किया गया है, और इसमें आस्ति के मूल्य में ब्रांड मूल्य, साख का मूल्य, या कॉपीराइट, पेटेंट का मूल्य, अनुमत उपयोग, सामूहिक चिह्न, रजिस्ट्रीकृत स्वामी, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, समानार्थी भौगोलिक संकेत, भौगोलिक संकेत, डिज़ाइन या लेआउट- डिज़ाइन या धारा 3 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट ऐसे अन्य वाणिज्यिक अधिकार, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं। उक्त भाग या प्रभाग या कारबार का टर्नओवर वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के अंतिम उपलब्ध लेखापरीक्षित यथा प्रमाणित खाते के आधार पर होगा।

[फा. सं. 05/7/2013-सीएस]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2024.

S.O. 1131(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the enterprises being parties to —

- (a) any acquisition referred to in clause (a) of section 5 of the Competition Act;
- (b) acquiring of control by a person over an enterprise when such person has already direct or indirect control over another enterprise engaged in production, distribution or trading of a similar or identical or substitutable goods or provision of a similar or identical or substitutable service, referred to in clause (b) of section 5 of the Competition Act; and
- (c) any merger or amalgamation, referred to in clause (c) of section 5 of the Competition Act,

where the value of assets being acquired, taken control of, merged or amalgamated is not more than rupees Four hundred and fifty crore in India or turnover of not more than rupees One thousand two hundred and fifty crore in India, from the provisions of section 5 of the said Act for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Where a portion of an enterprise or division or business is being acquired, taken control of, merged or amalgamated with another enterprise, the value of assets of the said portion or division or business and or attributable to it, shall be the relevant assets and turnover to be taken into account for the purpose of calculating the thresholds under section 5 of the Act. The value of the said portion or division or business shall be determined by taking the book value of the assets as shown, in the audited books of accounts of the enterprise or as per statutory auditor's report where the financial statement have not yet become due to be filed, in the financial year immediately preceding the financial year in which the date of the proposed combination falls, as reduced by any depreciation, and the value of assets shall include the brand value, value of goodwill, or value of copyright, patent, permitted use, collective mark, registered proprietor, registered trade mark, registered user, homonymous geographical indications, geographical indications, design or layout- design or similar other commercial rights, if any, referred to in sub-section (5) of section 3. The turnover of the said portion or division or business shall be as certified by the statutory auditor on the basis of the last available audited accounts of the company.

[F. No. 05/7/2013-CS]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.